महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
पोस्ट – हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा (महाराष्ट्र) –442001

ज्ञान शान्ति मैत्री

75 आज़ादी का अमृत महोत्सव

दिनांक : 02.12.2025

पुस्तक आपूर्तिकर्ताओं के पंजीयन हेतु विज्ञप्ति

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा स्थित महापंड़ित राहुल सांकृत्यायन केंद्रीय पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की आपूर्ति के निमित्त आपूर्तिकर्ताओं (Vendors) से पंजीयन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित हैं। पुस्तकों की आपूर्ति हेतु पंजीयन (Registration) अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.hindivishwa.org) पर संपर्क करे। इच्छुक आपूर्तिकर्ता (Vendor) विश्वविद्यालय की संलग्न शर्तों के अनुसार ई–मेल cl.hindivishwa@gmail.com पर दिनांक 12/12/2025 को सायं 6.00 बजे तक पंजीयन हेतु आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।

02/12/25

कुलसचिव

Mahata Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalay
(A Central University established by parliament by Act No. 3 of 1997)
Post Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442001 (Maharashtra)

ज्ञान शान्ति मैत्री

Date. 02.12..2025

Advertisement for Registration of book Suppliers

Applications are invited from Publishers/venders for registration to supply books to the Mahapandit Rahul Sankrityayan Central Library at Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha. Registration is mandatory for supplying books. Interested Parties may submit their applications by email to cl.hindivishwa@gmail.com as per the University's terms and conditions by 06:00 PM on 12/12/2025. For more information, please visit the university website www.hindivishwa.org

02/12/2025

Registrar

पुस्तक आपूर्ति हेतु नियम व शर्तें

1. विश्वविद्यालय द्वारा जारी क्रयादेश की तिथि से स्वदेशी पुस्तकों को 30 दिनों के भीतर एवं विदेशी पुस्तकों को 45 दिनों के भीतर आपूर्ति करना अनिवार्य है। अन्यथा क्रयादेश निरस्त माना जाएगा।
2. अंग्रेजी एवं हिंदी पुस्तकों पर कम से कम Paperback पर 25% एवं Hardbound पर 30% छूट देनी अनिवार्य होगी।
3. निर्धारित अवधि के भीतर क्रयादेशित पुस्तकों की 75% से कम आपूर्ति होने पर 10% अतिरिक्त राशि काटी जाएगी।
4. पुस्तक का उपलब्ध नवीनतम संस्करण एवं उस पर अंकित मूल्य (Printed Price) ही खरीद हेतु मान्य होगा।
5. विदेशी प्रकाशकों से मूल रूप से प्रकाशित पुस्तकों का मूल्य प्रमाण-पत्र देना होगा। क्रयादेश के दिनांक के दिन की ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित परिवर्तन दर (Conversion Rate) टी. टी. सेलिंग दर (TT Selling Rates) मान्य होगी।
6. विदेशी पुस्तकों के बिलों के साथ आपको अपना क्रयादेश बीजक (Invoice) भी देना होगा।
7. क्रयादेशानुसार यदि पुस्तकें नहीं पाई गई तो उन पुस्तकों का भुगतान नहीं किया जाएगा।
8. डाक व्यय और परिवहन व्यय प्रकाशक / वितरक को देना होगा तथा पुस्तकों की डोर डिलेवरी (Door Delivery) करानी होगी।
9. जीएसटी व आयकर संबंधी टैन/पैन (TAN/PAN) नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
10. आपूर्ति के उपरांत यदि कोई पुस्तकें डिफेक्टिव (पृष्ठ खराब होना, कम पृष्ठ होना आदि) पायी गई तो उन पुस्तकों को नई पुस्तकों से बदलना होगा। भले ही उन पुस्तकों की पुस्तकालय में प्रविष्टि दर्ज कर ली गई हो।
11. आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकें तीन साल से ज्यादा की अवधि की नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो उन पुस्तकों को रिमेंडर माना जाएगा, जिस पर अतिरिक्त छूट देना होगा।
12. आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकें मूल प्रकाशक की होनी चाहिए। पुस्तकें नकली (Fake) होने की स्थिति में उसका भुगतान नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में आपूर्तिकर्ता विधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
13. आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकों का भुगतान क्रयादेश में उल्लिखित उसके स्वरूप के आधार पर (यथा – पेपरबैक/हार्डबाउंड/ इंटरनेशनल संस्करण के अनुसार) ही किया जाएगा।
14. भुगतान हेतु राष्ट्रीकृत बैंक का नाम, खाताधारक का नाम, बैंक शाखा का स्थान तथा आई.एफ.एस.सी. बीजक के साथ अनिवार्यत: प्रस्तुत करना होगा।
15. किसी भी प्रकार की क्षति के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
16. किसी भी प्रकार के न्यायालयीन वाद-विवाद का क्षेत्र वर्धा न्यायिक क्षेत्र होगा।

03/11/2025

03.11.2025